ब्लदेव भारती बनाम बिदामी
प्रा.पत्र सं. 385/2019
जीसीएमएस नं. 2019–00129

समानता नहीं रखता है, जबकि रामदेव भारती व बलदेवभारती दोनो एक ही व्यक्ति

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत संज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी रामदेव भारती पुत्र भारती नाबा. जरिये माता बिदामी कौम गुसाई निवासी खेराट का नाम राजस्व रिकॉर्ड मौजा जसनाथुपरा खाता संख्या 50 में वर्णित खसरान में दर्ज नाम बलदेवराम पुत्र भारती नाबा. जरिये वलिया माता बिदामी के स्थान पर वास्तविक नाम रामदेव पुत्र नाम उम्र व्यस्क दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेष : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्व प्रसंज्ञान स्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत धारा 88, आर.टी.एक्ट का मानते हुये स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेष दिये है कि वे ग्राम जसनाथपुरा तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 50 में दर्ज लदेवराम पुत्र जवार भारती नाबा. जरिये वलिया माता बिदामी पत्नी जवार भारती कौम सा. खेराट के स्थान पर रामदेव भारती पुत्र जवार भारती उम्र वयस्क जाति गुसाई खेराट तहसील–जायल दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 09/11/2021 को मेरे द्वारा मजमें आम सुनाया गया।

09/11/2021

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्डअधिकारी एवं
सहायककलेक्टर, जायल

Scanned with CamScanner